

01.06.2022

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम के सहयोगी श्री रवि रंजन उपस्थित। जिला प्रशासन की ओर से श्री विवेक कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर उपस्थित।

आयोग द्वारा वाद के प्रारंभिक जाँच के क्रम में पाया गया कि वादी द्वारा 03 लगातार बैठकों में दिनांक-24.07.2021 को आहूत अविश्वास प्रस्ताव हेतु विशेष बैठक को भी सम्मिलित किया गया है जिसकी वैधता नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3117, दिनांक-08.10.2021 द्वारा विधि सम्मत नहीं मानी गई है।

तदालोक में वाद को आगे सुनवाई योग्य नहीं पाया गया। अतएव वाद को खारिज करने का निर्णय लिया गया। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

ह0/-

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

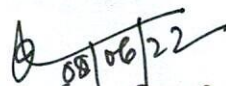
01.06.2022

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक:-39/2021..... 2195

दिनांक:- 8.6.22

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/श्री विवेक कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/वादी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि आदेश फलक की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को कराते हुए आयोग को इसकी सूचना उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


विशेष कार्य पदाधिकारी